प्रथम सूचना रिपोर्ट

{अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया सहित}

1. जिला– **भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों, बाडमेर** थाना:– **सीपीएस एसीबी जयपुर वर्ष 2022**
   प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या......89/22........ दिनांक......13/3/2022
2. (1) अधिनियम **पी0सी0एक्ट** धारा :–**7, भ्रष्टाचार निवारण(संशोधन) अधिनियम 2018**
   (2) अधिनियम भारतीय दण्ड संहिता धारायेः–
   (3) अधिनियम .... धाराये :–........................
   (4) अन्य अधिनियम व धाराये :– ....
3. (अ) रोजनामचा आम रपट संख्या......259...... समय.....3:00 P.M.
   (ब) अपराध के घटने का दिन :– दिनांक **12.03.2022** समय **2.10 पी0एम0**
   (स) थाना पर सूचना प्राप्त होने का दिनांक **11.03.22** समय **9.49 ए0एम0**
4. सूचना की किस्म :– **हस्तलिखित**
5. घटनास्थल :–
   (अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी :– **चौकी से बदिशा दक्षिण करीबन 65 किलोमीटर**
   (ब) पता :– **श्री दीपाराम को रहवासीय मकान धोरीमन्ना**
   (स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो :–
6. परिवादी/सूचनाकर्त्ता
   (अ) नाम :– **श्री जुंजाराम**
   (ब) पिता का नाम :– **श्री रामाराम**
   (स) जन्मतिथि/वर्ष :– **उम्र 21 वर्ष**
   (द) राष्ट्रीयता :– **भारतीय**
   (य) पाटपोर्ट संख्या :–........................ जारी होने की तिथी........................
   (र) व्यवसाय :–
   (ल) पता :– **निवासी डउकियो की ढाणीं ग्राम पंचायत भीलो की ढाणीं कल्ला तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर मोबाईल नम्बर 7339828578**
7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तो का ब्यौरा विशिष्टियो सहित :–
   श्री जुंजाराम पुत्र श्री गोमाराम जाति जाट उम्र 28 वर्ष पैशा नौकरी निवासी ग्राम पंचायत आलमसर खुर्द पंचायत समिति व पुलिस थाना धोरीमन्ना जिला बाड़मेर हाल ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत भीलो की ढाणीं कल्ला पं0सं0 धोरीमन्ना जिला बाड़मेर मोबाईल नम्बर 9660379541
8. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारणः– कोई नहीं।
9. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टयां :–........................
10. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्तिया का कुल मूल्य :– **ट्रेप राशि 6,000रुपये**
11. पंचनामा /यूडी केस संख्या (अगर हो तो)........................
12. विषय वस्तु प्रथम इत्तला रिपोर्ट ....

(हस्ताक्षर)

सेवा में,

श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधिकक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरौ
बाड़मेर (राज0)

विषय : रिश्वत लेने बाले पर कार्यवाही करने बाबत।

महोदय,

निवेदन हैं कि मेरा नाम जुंजाराम S/O रामाराम उम्र 21 वर्ष जाति जाट निवासी डऊकियो की ढाणी ग्राम पंचायत भीलों की ढाणी कला तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर अर्जी इस प्रकार हैं, कि मेरी ग्राम पंचायत भीलो की ढाणी के ग्राम विकास अधिकारी श्री जुंजाराम ने मेरे पिताजीं के नाम स्वीकृत टांका के मिस्ट्रोल में नहीं भर रहे हैं जॉब कार्ड में 100 दिन पुरा करने के लिए मेरे से 6000 रु. मॉग रहे हैं। मैं मेरे सही काम के लिए रिश्वत नहीं देना चाहता हूॅ। ग्राम विकास अधिकारी श्री जुंजाराम से मेरा कोई लेन–देन बकाया नहीं है। और न ही मेरा जुंजाराम से कोई रजिश हैं। मैं ग्राम विकास अधिकारी को उक्त 6000रुपये लेते हुए पकड़ाना चाहता हूॅ।

अतः श्रीमान् उचित कार्यवाही करें।

दिनॉक
11/03/2022

एसडी/–
मुकनदान

एसडी/–
प्रार्थी
जुंजाराम S/O
रामाराम जी

एसडी/–
सुरज कुमार
12/3/22

एसडी/–
हसनखानं
12/3/22

कार्यवाही पुलिस दिनांक 11.03.2022 वक्त 9.40 ए0एम0

इस समय मन् निरीक्षक पुलिस अपने कार्यालय कक्ष में उपस्थित था। मन् निरीक्षक पुलिस को श्री रामनिवास अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जो राजकार्य से मुख्यालय से बाहर गये हुए होने से उन्हौने मन् निरीक्षक पुलिस को ब्यूरो मुख्यालय के कॉल सेन्टर 1064 पर शिकायत के सम्बंध में परिवादी के नम्बर देकर उससे वार्ता कर अग्रिम कार्यवाही करने हेतु निर्देषित किया, जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा समय 9.49 ए0एम0 पर मोबाईल नम्बर 7339828578 पर वार्ता की गई तो वार्ता करने वाले व्यक्ति ने अपना नाम जुंजाराम निवासी डउकियो की ढाणीं ग्राम पंचायत भीलो की ढाणींकल तहसील धोरीमन्ना होना बताया एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री जुंजाराम द्वारा उसके पिता के नाम स्वीकृत टांका के मस्ट्ररोल भरने एवं 100 दिवस रोजगार देने की एवज में 6000रुपये रिष्वत की मांग करना एवं उसके विरुद्व कार्यवाही हेतु एसीबी के कॉल सेन्टर 1064 पर षिकायत दर्ज करवाना बताया, जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस ने परिवादी को बताया कि एसीबी चौकी का लालाराम कानि0 आपके वहाँ पहुचकर अग्रिम कार्यवाही करवाने उपस्थित हो जायेंगा, आप उसे बंद लिफाफे में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रिश्वती राशि मांग का गोपनीय सत्यापन करवाकर बाद रिश्वती राशि मांग सत्यापन ब्यूरो चौकी पर उपस्थित होवे। चौकी का कार्मिक श्री लालाराम 2–3 घंटे में आपके पास पहुच जायेगा, जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा श्री लालाराम कानि0 को कार्यालय कक्ष में तलब कर अलमारी में से डिजिटल टेप रिकार्डर निकालकर श्री लालाराम कानि0 को आपॅरेट करने की समझाईश की गई। तत्पश्चात मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा श्री लालाराम कानि0 को परिवादी श्री जुंजाराम के मोबाईल नम्बर देकर उचित मार्गदर्शन कर परिवादी से प्रार्थना पत्र प्राप्त कर परिवादी एवं आरोपी के मध्य रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्तालाप को ब्यूरो के डिजिटल टेप रिकार्डर में रिकार्ड कर बाद वार्तालाप मन् निरीक्षक पुलिस से जरिये मोबाईल वार्ता कर ब्यूरो चौकी पर उपस्थितं होने हेतु निर्देशित कर रवाना किया। रिश्वती राशि मांग सत्यापन में गये हुए श्री लालाराम कानि0 ने जरिये मोबाईल मन् निरीक्षक पुलिस को अवगत करवाया कि मेरे द्वारा परिवादी से वार्ता कर परिवादी के बताये स्थान पर पहुच प्रार्थना पत्र प्राप्त किया एवं ब्यूरो का डिजिटल टेप रिकार्डर परिवादी को ऑपरेट करने की समझाईश कर चालू कर आरोपी श्री जुंजाराम ग्राम विकास अधिकारी से रिश्वती राशि मांग बाबत वार्ता कर उक्त वार्ता को डिजिटल टेप रिकार्डर में रिकार्ड करने हेतु आरोपी श्री जुंजाराम के पास भेजा। कुछ समय में परिवादी श्री जुंजाराम मेरे पास उपस्थित आया एवं डिजिटल टेप रिकार्डर प्रस्तुत किया, जिसे मेरे द्वारा स्वीच ऑफ कर अपने कब्जे में लिया। परिवादी ने बताया कि आरोपी श्री जुंजाराम ग्राम विकास अधिकारी ने मेरे पिताजी के नाम टांके की मस्टरोल में हाजरी भरने एवं 100 दिन पूरा रोजगार देने की एवज में मेरे से 6000रुपये रिश्वत की मांग की, उक्त वार्ता को मेरे द्वारा डिजिटल टेप रिकार्डर में रिकार्ड किया गया है। श्री लालाराम कानि0 द्वारा बताये गये तथ्यो पर मन् निरीक्षक पुलिस ने रिश्वती राशि मांग सत्यापन होने पर श्री लालाराम कानि0 को निर्देशित किया कि आप आरोपी को रिश्वत में दी जाने वाली राशि 6000रुपये की परिवादी को व्यवस्था कर उसे कल दिनांक 12.03.2022 को प्रातः 9.00 ए0एम0 पर अग्रिम कार्यवाही हेतु ब्यूरो चौकी पर उपस्थित होने बाबत निर्देशित कर डिजिटल टेप रिकार्ड लेकर चौकी पर उपस्थित होवें।

दिनांक 11.03.2022 को समय 5.40 पी0एम0 पर श्री लालाराम कानि0 चौकी हाजा पर उपस्थित हुआ एवं एक प्रार्थना पत्र मन् निरीक्षक पुलिस को बंद लिफाफे में प्रस्तुत करते हुए ब्यूरो चौकी का डिजिटल टेप रिकार्डर स्वीच ऑफ हालात में प्रस्तुत किया, जिसे ऑन कर सुनने पर पूर्व में जरिये टेलीफोनिक वार्ता बताये हालात पाये गये एवं श्री लालाराम कानि0 ने बताया कि आपके निर्देशानुसार परिवादी को आरोपी श्री जुंजाराम ग्राम विकास अधिकारी द्वारा मांगी गई रिश्वती राशि 6000रुपये की व्यवस्था कर कल दिनांक 12.03.22 को 9.00 ए0एम0 पर उपस्थित होने बाबत पाबंध कर उपस्थित हुआ हूँ। ताबाद रिश्वती राशि मांग का गोपनीय सत्यापन हो जाने एवं ब्यूरो की कार्यवाही कल दिनांक 12.03.2022 को नियत होने एवं कल दिनांक 12.03.2022 को राजकीय अवकाश होने से गवाह तलबी हेतु श्रीमान् अधीक्षण अभियन्ता, जोधपुर डिस्कॉम बाड़मेर के नाम तेहरीर मूर्तिब कर गवाह पाबंध करवाकर उनके मोबाईल नम्बर प्राप्त कर दिनांक 12.03.2022 को मोबाईल वार्ता अनुसार ब्यूरो चौकी पर उपस्थित होने बाबत पाबंध करने हेतु श्री मिश्रीमल कानि0 को रवाना किया गया, जो ब्यूरो चौकी में उपस्थित आया एवं बताया कि श्रीमान् अधीक्षण अभियन्ता, जोधपुर डिस्कॉम बाड़मेर के आदेश कमांक 9595 दिनांक 11.03.2022 के द्वारा दो गवाह श्री सुरजकुमार तकनीकी सहायक प्रथम व श्री हसणखानं हेल्पर प्रथम को पाबंध कर कल दिनांक 12.03. 2022 को मोबाईल वार्ता पर ब्यूरो चौकी पर उपस्थित होने बाबत पाबंध करवाकर उपस्थित आया हूँ।

तत्पश्चात दिनांक 12.03.2022 को पूर्व पाबंध सुदा परिवादी श्री जुंजाराम ब्यूरो चौकी पर उपस्थित हुआ एवं स्वयं का परिचय श्री जुंजाराम पुत्र श्री रामाराम जाति जाट उम्र 21 वर्ष निवासी डउकियो की ढाणीं ग्राम पंचायत भीलो की ढाणीं कला तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर होना बताया,

जिस पर पूर्व में श्री लालाराम कानि0 द्वारा बंद लिफाफे में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को खोलकर अवलोकन करने पर पाया गया कि परिवादी ने प्रार्थना पत्र में अंकित किया कि मेरी ग्राम पंचायत भीलो की ढाणीं के ग्राम विकास अधिकारी श्री जुंजाराम ने मेरे पिताजी के नाम स्वीकृत टांका के मस्ट्ररोल नहीं भर रहे है। जॉब कार्ड में 100 दिन पुरा करने के लिए मेरे से 6000रुपये मांग रहे है। मैं मेरे सही काम के लिए रिष्वत नहीं देना चाहता हूँ। ग्राम विकास अधिकारी श्री जुंजाराम से मेरा कोई लेन–देन बकाया नहीं है और न ही मेरा जुंजाराम से कोई रजिंश है। मैं ग्राम विकास अधिकारी को उक्त 6000रुपये लेते हुए पकड़वाना चाहता हूँ। परिवादी ने उक्त प्रार्थना पत्र खुदकलमी लिखा हुआ होना बताया एवं बताया कि मेरे पिताजी ने श्री जुंजाराम ग्राम विकास अधिकारी द्वारा रिश्वत मांगने की कार्यवाही करवाने हेतु मुझे अधिकृत किया हुआ है। परिवादी श्री जुंजाराम को रिश्वती राशि मांग सत्यापन के हालात पूछने पर बताया कि श्री लालाराम कानि0 कल दिनांक 11.03.2022 को मेरे को कॉल करके धोरीमन्ना आए, जिस पर मैं पुलिस थाना के पास ब्रिज पर उनको उपस्थित मिला था, जिस पर मैने उन्हें एक बंद लिफाफे में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिसके बाद उन्हौने मुझे एसीबी का डिजिटल टेप रिकार्डर ऑपरेट करने की समझाईश कर रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता को रिकार्ड कर लाने हेतु डिजिटल टेप रिकार्डर ऑन कर दिया, जिसे मैं लेकर पुलिस थाना के पास मेडिकल वाली गली में श्री जुंजाराम ग्राम विकास अधिकारी के किराये के कमरे पर गया, जहॉ वह मुझे उपस्थित मिले, जिस पर मैने उनसे वार्ता कर उक्त वार्ता को रिकार्ड किया था, जिसमें उन्हौने मेरे से 6000रुपये रिश्वत की मांग की थी, जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस ने स्वतत्रं गवाह श्री सुरज कुमार से जरिये मोबाईल वार्ता कर श्री सुरज कुमार एवं श्री हसणखानं को ट्रेप कार्यवाही में अग्रिम कार्यवाही हेतु ब्यूरो चौकी पर उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया। कुछ समय बाद मन् निरीक्षक पुलिस के कार्यालय कक्ष में दो स्वतंत्र गवाह उपस्थित हुए, जिन्हें उनका परिचय पूछने पर उन्हौने क्रमशः अपना परिचय श्री सुरज कुमार पुत्र श्री रामानन्द जाति कुषवाह उम्र 32 वर्ष निवासी गांव पोस्ट लौना तहसील तारापुर जिला मंगुेर राज्य बिहार हाल तकनीकी सहायक द्वितीय कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता जोधपुर डिस्कॉम बाड़मेर एवं श्री हसणखानं पुत्र श्री तामिबखानं जाति मुसलमान उम्र 33 वर्ष निवासी वार्ड नम्बर 23, जटियो का वास षिवनगर बाड़मेर हाल हेल्पर प्रथम, कार्यालय लेखाधिकारी जोधपुर डिस्कॉम बाड़मेर होना बताया, जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस ने पूर्व से उपस्थित परिवादी श्री जुंजाराम को दोनो गवाहान से परस्पर परिचय करवाया गया एवं परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दोनो गवाहान को पढ़ाया गया। दोनो गवाहान ने भी परिवादी से उक्त शिकायत के तथ्यो के सम्बंध में वार्ता कर पूर्ण तस्सली की। तत्पश्चात रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्तालाप को डिजीटल टेप रिकॉर्डर चालू कर परिवादी की उपस्थिति में दोनो गवाहान को सुनाया गया। परिवादी की रिपोर्ट एंव वार्तालाप में सत्यापन से संबधित अंशो को सुनने के पश्चात अपने स्तर पर दोनों गवाहान ने परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर अपने–अपने हस्ताक्षर करते हुए कार्यवाही में स्वतन्त्र गवाहान बनने की सहमति प्रदान की। तत्पश्चात ट्रेप कार्यवाही में रिश्वती राशि मांग–सत्यापन रुबरु वार्तालाप दिनांक 11.03.2022 जो कार्यालय के डिजीटल टेप रिकार्डर में रिकॉर्ड हैं। उक्त वार्ता को रूबरू मौतबिरान एवं परिवादी के सुन–सुन कर शब्द–बशब्द फर्द ट्रांस्क्रिप्ट् मुर्तिब कर शामिल पत्रावली की गई। वार्तालाप की कार्यालय के लेपटॉप के माध्यम से दो सीडीयॉ श्री बांकाराम कानि0 से तैयार करवाई जाकर एक सी0डी0 को मूल मानते हुये कपडो की थेली में डालकर सील मोहर कर थेली पर सम्बंधितगणों के हस्ताक्षर करवाये गये एवं दूसरी सी.डी. को डब मानते हुये खुली रखी गई। आरोपी श्री जुंजाराम की आवाज की पहचान परिवादी द्वारा की गई। उक्त सी0डी0 को जमा ट्रेप बाक्स किया गया।

तत्पश्चात दोनों गवाहान के रूबरू परिवादी श्री जुंजाराम को आरोपी श्री जुंजाराम ग्राम विकास अधिकारी को रिश्वत में दी जाने वाली राशि पेश करने हेतु कहा गया, तो परिवादी श्री जुंजाराम ने पॉच सौ–पॉच सौ के 12 नोट कुल 6,000रुपये अपने पास से निकाल कर पेश किये जिनके नम्बर निम्नानुसार फर्द में अंकित किये :–

1	एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी	7 PN	721534
2	एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी	7 QA	827569
3	एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी	4 PP	411807
4	एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी	7 PN	721535
5	एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी	1 HB	640618
6	एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी	3 BL	475641
7	एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी	6 QD	334859
8	एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी	6 DM	530717
9	एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी	4 FW	171767
10	एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी	0 SN	500984

11	एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी	4 UC	410020
12	एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी	6 BM	120262

कार्यालय हाजा के मालखाना को श्री सुराबखां कानि0 से खुलवाया जाकर फिनोफथलीन पाउडर की शिशि मंगवाई जाकर श्री रघुवीरसिंह कानि0 से उक्त 6,000 रू के सभी नोटों को एक अखबार के ऊपर रखवाकर प्रत्येक नोट पर हल्का–हल्का फिनोफ्थलीन पाउडर उक्त राशि के प्रत्येक नोट पर श्री रघुवीरसिंह कानि0 से लगवाया गया। परिवादी श्री जुंजाराम की जामा तलाषी गवाह श्री सुरजकुमार से लिवाई जाकर उसके पास कोई आपत्तिजनक दस्तावेजात व अन्य राशि नहीं रहने दी गई। परिवादी का मोबाईल उसके पास रहने दिया गया। उक्त फिनोफ्थलीन पाउडर युक्त नोटों को परिवादी श्री जुंजाराम के पहनी हुई पेन्ट दाहिनी जेब में श्री रघुवीरसिंह कानि0 से रखवाये जाकर गवाहान के समक्ष परिवादी श्री जुंजाराम को हिदायत दी गई कि इस रिष्वती राशि को नहीं छुऐ तथा आरोपी श्री जुंजाराम ग्राम विकास अधिकारी के मांगने पर ही उक्त रिष्वती राषि निकाल कर उसे देवे तथा आरोपी से हाथ नहीं मिलावे। साथ ही परिवादी को यह भी निर्देषित किया गया कि आरोपी द्वारा रिश्वती राषि प्राप्त करने के बाद वो इस राषि को कहां रखता हैं, इस बात का ध्यान रखते हुए अपने सिर पर हाथ फैर कर या मन् निरीक्षक पुलिस के मोबाईल पर या ब्यूरो के किसी अन्य स्टाफ के मोबाईल पर मिसकॉल/कॉल करके गोपनीय ईषारा करें। तत्पश्चात एक कांच की साफ गिलास में साफ पानी भरकर मंगवाया गया। जिसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार कर गवाहान, परिवादी को दिखाया गया तो सभी हाजरीन ने रंगहीन घोल होना स्वीकार किया। इस रंगहीन घोल में श्री रघुवीरसिंह कानि0 के हाथों की अंगुलियों एवं अगुठो को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गहरा गुलाबी हो गया जिसे सभी हाजरीन ने घोल का रंग गहरा गुलाबी होना स्वीकार किया। सभी हाजरीन को समझाईश की गई कि आरोपी द्वारा रिष्वती राषि के नोटों को हाथ लगाने और सोडियम कार्बोनेट के घोल में हाथ धुलाने पर घोल का रंग गहरा गुलाबी हो जायेगा। फिनोफथलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट के मिश्रण की क्रिया–प्रतिक्रिया व उपयोगिता के बारे में सभी को भली भांति समझाया गया। फिर गिलास के गुलाबी घोल को बाहर फिंकवाया जाकर गिलास को साफ पानी व साबुन से धुलवा कर उस अखबार को जलाकर नष्ट करवाया गया, जिस पर नोटों को रखकर फिनोफथलीन पाउडर लगाया गया था। फिनोफथलीन पाउडर की षिषी को श्री रघुवीरसिंह कानि0 से कार्यालय हाजा के मालखाना में रखवायी जाकर मालखाना के ताला लगवाया गया तथा समस्त ट्रेप पार्टी के सदस्यों, गवाहान के हाथ एवं ट्रेप कार्यवाही हेतु उपयोग में लेने वाली सामग्री वगैरा को भी साफ पानी व साबुन से दो–दो बार धुलवाया गया, फिर ट्रेप पार्टी के सदस्यों की आपस में जामा तलाषी लिरवाई जाकर कोई आपतिजनक वस्तु एवं राषि आदि नहीं रहने दी गई। मन् निरीक्षक पुलिस, ब्यूरो दल एवं गवाहान ने अपना–अपना मोबाईल अपने पास रखा। गवाहान को हिदायत दी गई कि जहां तक संभव हो परिवादी व आरोपी के बीच में होने वाली रिश्वती राशि लेन देन व वार्तालाप को देखने व सुनने का प्रयास करें। नोटों पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगाने वाले श्री रघुवीरसिंह कानि0 को कार्यालय हाजा में वास्ते निगरानी पीछे छोड़ने का निर्णय लिया गया।

तत्पश्चात दिनांक 12.03.2022 को समय 12.10 पी0एम पर रिश्वती राशि के नोटों पर फिनोफ्थलीन पाऊडर लगाने वाले श्री रघुवीरसिंह कानि0 को आवश्यक हिदायत देकर कार्यालय हाजा में छोडा जाकर मन् निरीक्षक पुलिस, हमराह स्वतन्त्र गवाहान श्री सुरज कुमार व श्री हसणखान, परिवादी श्री जुंजाराम तथा ब्यूरो जाब्ता श्री मिश्रीमल कानि0, श्री सुराबखां कानि0, श्री बांकाराम कानि0, श्री लालाराम कानि0, श्री अनूपसिंह कानि0, श्री सहदेवसिंह कनिष्ठ सहायक के सरकारी बोलेरो वाहन मय चालक श्री रोशनसिंह व निजी कार के मय ट्रेप बॉक्स, कार्यालय का लेपटॉप, प्रिन्टर एवं आवश्यक सामग्री तथा डिजीटल टेप रिकॉर्डर के ट्रेप कार्यवाही हेतु एसीबी चौकी बाड़मेर से परिवादी के कहे अनुसार धोरीमन्ना को रवाना होकर उपरोक्त फिकरा का रवाना सुदा मन् निरीक्षक पुलिस एवं हमराहियान के धोरीमन्ना में ब्रीज के पास पहुचे। परिवादी श्री जुंजाराम को श्री जुंजाराम ग्राम विकास अधिकारी की उपस्थिति ज्ञात करने का कहने पर उसने बताया कि मैं मोबाईल वार्ता कर उनकी उपस्थिति ज्ञात कर लूंगा, जिस पर परिवादी की आरोपी ग्राम विकास अधिकारी से वार्ता करवाने का निर्णय लिया गया। परिवादी ने उक्त स्थान पर अपने परिचित से मोटरसाईकल मंगवाई। परिवादी ने अपने मोबाईल नम्बर 7339828578 से आरोपी श्री जुंजाराम ग्राम विकास अधिकारी के मोबाईल नम्बर 9660379541 पर कॉल किया, जिस पर उसकी उपस्थिति पूछने पर उन्हौने बताया कि मैं बिजली घर के पीछे दीपाराम के मकान पर हूँ, आप वहाँ पर आ जाओं, जिस पर परिवादी की मोबाईल वार्ता अनुसार उक्त स्थान पर जाकर रिश्वती राशि लेन–देन की कार्यवाही करवाने का निर्णय लिया गया। परिवादी ने बताया कि मैं उक्त स्थान को जानता हूँ, जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस मय ट्रेप दल के दोनो वाहनो से विद्युत विभाग धोरीमन्ना के पीछे उक्त मकान के

पास परिवादी के मोटरसाईकल के पीछे–पीछे रवाना होकर पहुचे, जहाँ परिवादी श्री जुंजाराम को ब्यूरो का डिजिटल टेप रिकार्डर ऑन कर रिश्वती राशि लेन–देन की करवाने एवं वार्ता को रिकार्ड करने हेतु उक्त रहवासीय मकान की तरफ रवाना किया। मन् निरीक्षक पुलिस मय ट्रेप दल के अपने–अपने वाहनो में बैठ परिवादी के गोपनीय ईशारे में मुकीम हुए। आरोपी की उपस्थिति ज्ञात करने हेतु परिवादी की आरोपी से मोबाईल पर करवाई गई वार्ता को रिकार्ड नहीं किया गया। कुछ समय बाद परिवादी बिना कोई गोपनीय ईशारा किये बाहर आया एवं अपनी मोटरसाईकल से रवाना होकर जाने लगा, जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस ने जरिये मोबाईल परिवादी से वार्ता की तो परिवादी ने बताया कि श्री जुंजाराम ग्राम विकास अधिकारी ने मुझे टोनर रिफिल करवाने हेतु भेजा है, जिसे मैं भरवाने जा रहा हूँ एवं उसके बाद रिश्वती राशि लेन–देन होगा। तत्पश्चात करीबन 10–15 मीनट बाद परिवादी पुनः अपनी मोटरसाईकल से उक्त रहवासीय मकान के पास उपस्थित हुआ एवं उक्त मकान के अन्दर प्रवेश हुआ, जिस पर परिवादी के पीछे–पीछे श्री लालाराम कानि0 को भी रवाना किया गया।

तत्पश्चात दिनांक 12.03.2022 को समय 2.10 पी0एम0 पर उपरोक्त मौतबिरान के रूबरू परिवादी श्री जुंजाराम ने ग्राम विकास अधिकारी के किराये के मकान के मुख्य द्वार के बाहर आकर गोपनीय ईशारा किया, जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस मय ट्रेप दल के परिवादी के पास पहुचा। परिवादी से ब्यूरो का डिजिटल टेप रिकार्डर प्राप्त कर स्वीच ऑफ किया। परिवादी ने पास ही खडे व्यक्ति की तरफ ईशारा कर बताया कि यही श्री जुंजाराम ग्राम विकास अधिकारी है, जिन्हौने अभी–अभी मेरे से रिश्वत राशि प्राप्त कर अपने दाहिने हाथ में रखी है, जिस पर उक्त व्यक्ति ब्यूरो दल को देख कर भागने लगा, जिसे पीछा कर दस्तयाब किया गया। दस्तयाब किये गये व्यक्ति को मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा अपना एवं ब्यूरा दल का परिचय देकर उसका परिचय पूछा तो उसने अपना परिचय श्री जुंजाराम पुत्र श्री गोमाराम जाति जाट उम्र 28 वर्ष पैशा नौकरी निवासी ग्राम पंचायत आलमसर खुर्द पंचायत समिति व पुलिस थाना धोरीमन्ना जिला बाड़मेर हाल ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत भीलो की ढाणीं कल्ला पं0सं0 धोरीमन्ना जिला बाड़मेर मोबाईल नम्बर 9660379541 होना बताया, जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस ने पास ही खडे परिवादी की तरफ ईशारा कर आरोपी श्री जुंजाराम को परिवादी को पहचानने एवं उनसे आज रिश्वत राशि प्राप्त करने के सम्बंध में पूछने पर आरोपी श्री जुंजाराम ने बताया कि मैं इसको जानता हूँ, यह श्री जुंजाराम है, इसके पिता रामाराम के नाम नरेगा का टांका स्वीकृत हो रखा है। यह कल मेरे पास आया था एवं इसके पिताजी के नाम टांके के मस्टरोल जारी कर हाजरी चढ़ाने का मुझे कहा, जिस पर मैने कहा कि साईट नहीं चल रही है, मेरे पास और भी मस्टरोल है, सभी एक साथ जारी करके हाजरी चढाउंगा। मैने कल इसके पिता व अन्य 70 जनो के टांके के मस्टरोल जारी किये है। आज यह मेरे पास आया एवं मुझे स्वैच्छा से 6000रुपये दिये, जिस पर मैने लेकर अपने दाहिने हाथ में रखे इतने में आप लोग आ गए, मैने इससे किसी प्रकार की कोई रिश्वत नहीं मांगी है, जिस पर पास ही खडे परिवादी श्री जुंजाराम ने बताया कि ग्राम विकास अधिकारी श्री जुंजाराम झूठ बोल रहे है, मैं पिछले करीबन 15–20 दिन में मेरे पिताजी के नाम मस्टरोल जारी कर हाजरी चढ़ाने के लिए सात–आठ बार गया, किन्तु इन्हौने मुझे मस्टरोल नहीं दिये, जिन्हौने इसको रिश्वत दी उनके मस्टरोल दे दिये एवं मुझे कहा कि पैसे देने होंगे, जिस पर मैने एसीबी में शिकायत की एवं कल दिनांक 11.03.2022 को रिश्वती राशि मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया तो इन्हौने मेरे से 6000रुपये रिश्वत की मांग की, जिस पर आज उक्त मांगी गई रिश्वत की राशि मेरे से प्राप्त की है। आरोपी श्री जुंजाराम को परिवादी से पुनः रिश्वती राशि के सम्बंध में पूछने पर कहा कि यह पहले मेरे पास एक–दो बार आया, लेकिन मैने इनसे कभी कोई रिश्वत की मांग नहीं की है। इन्हौने आज स्वैच्छा से मुझे रुपये दिये, मैने गिने नहीं है। आरोपी के दाहिने हाथ में रखी रिश्वती राशि को स्वतंत्र गवाह श्री सुरज कुमार को दिलवाई जाकर उनके पास सुरक्षित रखवाई गई। तत्पश्चात उक्त रहवासीय मकान के सम्बंध में आरोपी श्री जुंजाराम से पूछने पर उसने बताया कि यह मकान किराये का है, जहाँ दीपाराम ग्राम विकास अधिकारी अपने परिवार के साथ किराये पर रहते है एवं श्री दीपाराम की पत्नि मेरी धर्म बहन है, मैं खाना खाने यहाँ पर आया हुआ था। तत्पश्चात उक्त रहवासीय मकान के आस–पास भीड़–भाड़ होने को देखते हुए अग्रिम कार्यवाही पुलिस थाना धोरीमन्ना में किये जाने का निर्णय लिया जाकर दस्तायाब सुदा आरोपी श्री जुंजाराम को सरकारी वाहन में बिठाया जाकर आरोपी के दोनो हाथ कलाई के उपर ब्यूरो स्टाफ से पकड़वाये जाकर, मन् निरीक्षक पुलिस, दोनो स्वतंत्र गवाहान, परिवादी एवं ब्यूरो स्टाफ के समय 2. 56 पी0एम0 पर पुलिस थाना धोरीमन्ना पहुचे, जहाँ थानाधिकारी श्री नाथूसिंह उपस्थित मिले, जिन्हें मन् निरीक्षक पुलिस ने स्वयं एवं ब्यूरो दल का परिचय देकर आने के मन्तव्य से अवगत करवाकर अग्रिम कार्यवाही पुलिस थाना धोरीमन्ना में करने की अनुमति चाहने पर उनके द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई। तत्पश्चात आरोपी श्री जुंजाराम ग्राम विकास अधिकारी की हाथ धोवन की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए कांच की दो साफ गिलासों में पुलिस थाना धोरीमन्ना से साफ पीने का पानी मंगवाया

जाकर इस पानी में एक–एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार किया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा, जिसे सभी हाजरीन ने रंगहीन होना स्वीकार किया। उक्त रंगहीन घोल के एक गिलास में आरोपी श्री जुंजाराम के दांहिने हाथ की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग परिवर्तित होकर हल्का गुलाबी हो गया, जिसे सभी हाजरीनों ने हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त घोल को कांच की दो साफ शीशीयों में आधा–आधा भर सील मोहर कर चेपों पर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाकर मार्क आर.एच.–1 व आर.एच.–2 अंकित किया गया। इसी प्रकार तैयार घोल के दूसरे गिलास में आरोपी श्री जुंजाराम ग्राम विकास अधिकारी के बांये हाथ की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग परिवर्तित होकर हल्का झाईनुमा गुलाबी हो गया जिसे सभी हाजरीनों ने हल्का झाईनुमा गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त घोल को कांच की दो साफ शीशीयों में आधा–आधा भर कर सील मोहर कर चेपों पर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाकर मार्क एल.एच.–1 व एल.एच–2 अंकित किया गया। स्वतंत्र गवाह श्री सुरज कुमार जिसके पास बरामदा रिश्वती राशि सुरक्षित रखवाई गई थी, जो प्रस्तुत किए जाने हेतु कहा जाने पर उसने उक्त बरामदा रिश्वती राशि पॉच–पॉच सौ रुपये के 12 नोट कुल 6000रुपये निकालकर प्रस्तुत किए, जिनको अन्य गवाह श्री हसणखानं से पूर्व में तैयार फर्द पेशकशी रिश्वती राशि सुपूर्द कर मिलान करवाया तो हुबहु नोट होना पाए गये। उक्त बरामदा रिश्वती राशि को एक कपड़े में सिल चिट कर उस पर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा ब्यूरो लिये गये। आरोपी जुंजाराम की जामा तलाशी गवाह श्री हसणखानं से लिरवाई गई तो उसके पहने हुए कपड़ों के अलावा उसके कोई संदिग्ध राशि, वस्तु या दस्तावेजात नहीं पाये गये न ही कब्जा ब्यूरो लिये गये। आरोपी के पास एक वीवो कम्पनी का ड्यूल सीम मोबाईल होना पाया गया, जिसके सम्बंध में आरोपी से पूछने पर उक्त मोबाईल स्वयं का होना एवं उक्त मोबाईलो में एयरटेल सीम नम्बर 9660379541 एवं जीयो सीम नम्बर 7627053103 होना बताया, जिस पर उक्त मोबाईल को स्वीच आफ कर आरोपी को पुनः लोटाया गया। ब्यूरो के डिजीटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड रिश्वती राशि वक्त लेन–देन वार्तालाप को सुना गया तो आरोपी व परिवादी के मध्य लेन–देन वार्तालाप होना पाया गया, जिसकी फर्द ट्रांसक्रिप्ट पृथक से मुर्तिब की जाएगी। आरोपी से परिवादी के पिताजी के मस्टरोल के सम्बंध में पूछने पर उसने बताया कि उक्त मस्टरोल शायद मेरे किराये का कमरा जो धोरीमन्ना में है उसमें है या ग्राम पंचायत भीलो की ढाणीं कल्ला में है, आज मुझे याद नहीं है, जिस पर उक्त दस्तोवजात को पृथक से जरिये फर्द जब्ती कब्जा ब्यूरो लिये जाने का निर्णय लिया गया। अब तक की कार्यवाही से उक्त ग्राम विकास अधिकारी श्री जुंजाराम के विरुद्व जुर्म धारा 7 भ्रष्टाचारा निवारण(संशोधन) अधिनियम 2018 प्रमाणित है। आरोपी को फर्द गिरफ्तारी के जरिये पृथक से गिरफ्तार किया जायेगा। उक्त ट्रेप कार्यवाही से सम्बंधित हालात उच्च अफसरान को निवेदन किए गए। तत्पश्चात ट्रेप कार्यवाही में रिश्वती राशि लेन–देन रुबरु वार्तालाप दिनांक 12.03.2022 जो कार्यालय के डिजीटल टेप रिकार्डर में रिकॉर्ड हैं। उक्त वार्ता को रूबरू मौतबिरान एवं परिवादी के सुन–सुन कर शब्द–बशब्द फर्द ट्रांस्क्रिप्ट् मुर्तिब कर शामिल पत्रावली की गई। वार्तालाप की कार्यालय के लेपटॉप के माध्यम से दो सीडीयॉ श्री बांकाराम कानि0 से तैयार करवाई जाकर एक सी0डी0 को मूल मानते हुये कपडो की थेली में डालकर सील मोहर कर थेली पर सम्बंधितगणों के हस्ताक्षर करवाये गये एवं दूसरी सी.डी. को डब मानते हुये खुली रखी गई। आरोपी श्री जुंजाराम ग्राम विकस अधिकारी की आवाज की पहचान परिवादी श्री मोहम्मद हनीफ द्वारा की गई। ताबाद घटनास्थल का नक्शा मौका मूर्तिब करना, आरोपी के किराये के मकान की खाना तलाशी मूर्तिब करना आवश्यक होने से मन् निरीक्षक पुलिस, दोनो स्वतंत्र गवाहान परिवादी श्री जुंजाराम, दस्तयाब शुदा आरोपी श्री जुंजाराम, ब्यूरो दल सदस्य श्री बांकाराम कानि0, श्री सुराबखां कानि0 एवं श्री रोशनसिंह चालक मय सरकारी वाहन के घटनास्थल को रवाना हुआ। शेष ट्रेप दल को धोवन के प्रादर्श की सुरक्षार्थ पुलिस थाना धोरीमन्ना में छोड़ा जाकर उपरोक्त फिकरा का रवाना सुदा घटनास्थल पहुच रुबरु गवाहान परिवादी श्री जुंजाराम की उपस्थिति में नक्शा मौका घटनास्थल मूर्तिब कर फर्द पृथक से मूर्तिब कर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात आरोपी के किराये के मकान की खाना तलाशी मूर्तिब करने हेतु आरोपी के बताये अनुसार सुभाष नगर धोरीमन्ना को रवाना होकर आरोपी के सुभाष नगर स्थित किराये के मकान पर पहुच आरोपी के किराये के मकान की खाना तलाशी मूर्तिब कर फर्द पृथक से मूर्तिब कर शामिल पत्रावली की जाकर आरोपी के सुभाष नगर स्थित किराये के मकान पर फर्द जब्ती रिकार्ड मूर्तिब कर सम्बंधितान के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात उपरोक्त के पुलिस थाना धोरीमन्ना के लिए रवाना होकर मन् निरीक्षक पुलिस, दोनो स्वतंत्र गवाहान, परिवादी एवं दस्तबया सुदा आरोपी श्री जुंजाराम के सरकारी वाहन मय चालक के पुलिस थाना धोरीमन्ना में उपस्थित हुआ, जहॉ ब्यूरो स्टाफ धोवन के प्रादर्श एवं मालखाना आईटम की सुरक्षा में उपस्थित मिले।

तत्पश्चात दिनांक 12.03.2022 को समय 7.45 पी0एम0 पर ट्रेप कार्यवाही में आरोपी श्री जुंजाराम पुत्र श्री गोमाराम जाति जाट उम्र 28 वर्ष पैशा नौकरी निवासी ग्राम पंचायत आलमसर

खुर्द पंचायत समिति व पुलिस थाना धोरीमन्ना जिला बाड़मेर हाल ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत भीलो की ढाणीं कल्ला पं0सं0 धोरीमन्ना जिला बाड़मेर मोबाईल नम्बर 9660379541 के विरूद्ध प्रथम दृष्टिया अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 का कारित किया जाने से उसे उसके द्वारा किए गए जुर्म से आगाह कर उसे ट्रेपकर्ता अधिकारी के नाम, पदनाम से अवगत करवाकर अन्तर्गत धारा 41 सी0आर0पी0सी0 के प्रावधानों के तहत जरिये फर्द गिरफ्तार किया जाकर फर्द पर संबधितगणों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। गिरफ्तारी की सूचना आरोपी के कहेनुसार उनके उनके रिस्तेदार श्री खूमाराम को दी गई। ट्रेप कार्यवाही में मौके पर कोई कार्यवाही शेष नहीं होने से परिवादी श्री जुंजाराम को रुखस्त दी जाकर मन् निरीक्षक पुलिस, दोनो स्वतंत्र गवाहान, गिरफ्तार सुदा आरोपी श्री जुंजाराम ग्राम विकास अधिकारी के ट्रेप कार्यवाही में रिश्वती राशि लेन–देन वार्तालाप की एक मूल सी0डी0 शील्ड शुदा एवं एक डब सी0डी0 खुली एवं ट्रेप कार्यवाही के दौरान जब्त रिश्वती राशि 6000रू0 शील्ड चिटयुक्त, धोवन की शीशियां मार्क आर0एच0–1, आर0एच0–2, एल0एच0–1, एल0एच0–2, इत्यादि मालखाना आईटम्स एवं डिजिटल टेप रिकार्डर के सरकारी बोलेरो वाहन, मय चालक श्री रोशनसिंह कानि एवं निजी कार मय चालक के पुलिस थाना धोरीमन्ना से ब्यूरो चौकी बाड़मेर को रवाना हुआ। ट्रेप कार्यवाही में रात्रि का समय होने एवं ब्यूरो स्टाफ, स्वतंत्र गवाहान एवं आरोपी को भोजन करवाया जाना आवश्यक होने से हाईवे स्थित होटल पर भोजन करवाया जाकर ब्यूरो चौकी बाड़मेर के लिए रवाना होकर उपरोक्त फिकरा का रवाना सुदा मन् निरीक्षक पुलिस मय हमराहियान के ब्यूरो चौकी बाड़मेर पहुचा। मालखाना आईटम श्री सुराबखां कानि0 को सुपूर्द कर सुरक्षित जमा मालखाना करवाया गया। दोनो स्वतंत्र गवाहान श्री सुरज कुमार एवं श्री हासणखानं को रुखस्त दी जाकर गिरफ्तार सुदा आरोपी श्री जुंजाराम ग्राम विकास अधिकारी का कोविड 19 टेस्ट एवं स्वास्थ्य परीक्षण करवाने हेतु चिकित्सा अधिकारी, राजकीय चिकित्सालय बाड़मेर के नाम तेहरीर मुर्तिब कर बाद स्वास्थ्य परीक्षसण एवं कोविड19 जांच के सीधे ही आरोपी को पुलिस थाना कोतवाली में सुरक्षित जमा करवाने हेतु तेहरीर मूर्तिब की जाकर श्री लालाराम कानि0, श्री बांकाराम कानि0 मय आरोपी के मुनासिब हिदायत दी जाकर जरिये सरकारी वाहन मय चालक श्री रोशनसिंह के रवाना किया गय, जो उपरोक्त फिकरा के गये हुए ब्यूरो जाब्ता आरोपी का स्वास्थ्य परीक्षण करवाकर पुलिस थाना कोतवाली में सुरक्षित जमा करवाकर प्राप्ति रसीद प्राप्त कर मन् निरीक्षक पुलिस के समक्ष उपस्थित आए। श्री लालाराम कानि0 को आरोपी की निगरानी ड्यूटी हेतु पुलिस थाना कोतवाली में रहने की हिदायत हुई।

इस प्रकार सम्पूर्ण ट्रेप कार्यवाही से यह पाया गया कि दिनांक 11.03.2022 को मन् निरीक्षक पुलिस अपने कार्यालय कक्ष में उपस्थित था। मन् निरीक्षक पुलिस को श्री रामनिवास अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जो राजकार्य से मुख्यालय से बाहर गये हुए होने से उन्हौने मन् निरीक्षक पुलिस को ब्यूरो मुख्यालय के कॉल सेन्टर 1064 पर शिकायत के सम्बंध में परिवादी के नम्बर देकर उससे वार्ता कर अग्रिम कार्यवाही करने हेतु निर्देषित किया, जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी के मोबाईल नम्बर 7339828578 पर वार्ता की गई तो वार्ता करने वाले व्यक्ति ने अपना नाम जुंजाराम निवासी डउकियो की ढाणीं ग्राम पंचायत भीलो की ढाणींकल तहसील धोरीमन्ना होना बताया एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री जुंजाराम द्वारा उसके पिता के नाम स्वीकृत टांका के मस्ट्ररोल भरने एवं 100 दिवस रोजगार देने की एवज में 6000रुपये रिष्वत की मांग करना एवं उसके विरुद्व कार्यवाही हेतु एसीबी के कॉल सेन्टर 1064 पर शिकायत दर्ज करवाना बताया, जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस ने परिवादी को बताया कि एसीबी चौकी का लालाराम कानि0 आपके वहॉ पहुचकर अग्रिम कार्यवाही करवाने उपस्थित हो जायेंगा, आप उसे बंद लिफाफे में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रिश्वती राशि मांग का गोपनीय सत्यापन करवाकर बाद रिश्वती राशि मांग सत्यापन ब्यूरो चौकी पर उपस्थित होने बाबत निर्देशित किया, जिस पर श्री लालाराम कानि0 द्वारा परिवादी से सम्पर्क कर बंद लिफाफे में प्रार्थना पत्र प्राप्त कर रिश्वती राशि मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया, जिसमें आरोपी श्री जुंजाराम ने परिवादी के पिता के नाम स्वीकृत मरेगा के टांका में मस्टरोल जारी कर हाजरी चढ़ाने की एवज में 6000रुपये रिश्वत की मांग की, उक्त वार्ता को डिजिटल टेप रिकार्डर में रिकार्ड किया गया। रिश्वती राशि मांग का गोपनीय सत्यापन होने पर दो स्वतंत्र गवाह पाबंध करवाये गये। दिनांक 12.03.2022 को परिवादी श्री जुंजाराम ब्यूरो चौकी पर उपस्थित हुआ, जिस पर रुबरु गवाहान अग्रिम कार्यवाही कर फर्द पेशकशी मूर्तिब कर मन् निरीक्षक पुलिस मय ट्रेप दल के परिवादी के बताये अनुसार धोरीमन्ना पहुच, परिवादी की आरोपी से मोबाईल वार्ता करवाकर उपस्थिति ज्ञात कर परिवादी को रिश्वती राशि का लेन–देन करने हेतु भेजा, जिसके पीछे–पीछे श्री लालाराम कानि0 को भी भेजा। आरोपी श्री जुंजाराम द्वारा परिवादी से रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्तालाप अनुसार 6000रुपये रिश्वती राशि प्राप्त कर अपने दाहिने हाथ में रखी एवं ब्यूरो दल को आता देखकर भागने का प्रयास किया, जिसे दस्तबया किया जाकर सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस थाना धोरीमन्ना पहुच अग्रिम कार्यवाही

की गई। आरोपी को परिवादी से रिश्वत राशि के सम्बंध में पूछने पर आरोपी श्री जुंजाराम ने बताया कि परिवादी के पिता रामाराम के नाम नरेगा का टांका स्वीकृत हो रखा है। यह कल मेरे पास आया था एवं इसके पिताजी के नाम टांके के मस्टरोल जारी कर हाजरी चढ़ाने का मुझे कहा, जिस पर मैने कहा कि साईट नहीं चल रही है, मेरे पास और भी मस्टरोल है, सभी एक साथ जारी करके हाजरी चढाउंगा। मैंने कल इसके पिता व अन्य 70 जनो के टांके के मस्टरोल जारी किये है। आज यह मेरे पास आया एवं मुझे स्वैच्छा से 6000रुपये दिये, जिस पर मैने लेकर अपने दाहिने हाथ में रखे इतने में आप लोग आ गए, मैने इससे किसी प्रकार की कोई रिश्वत नहीं मांगी है। तत्पश्चात आरोपी के दोनो हाथो के धोवन से दाहिने हाथ का धोवन हल्का गुलाबी एवं बाये हाथ का धोवन हल्का झाईनुमा गुलाबी होना पाया गया। परिवादी के पैण्डिंग कार्य से सम्बंधित मूल मस्टरोल आरोपी के सुभाष नगर स्थित किराये के कमरे में बरामद हुए, जिन्हें जरिये फर्द जब्ती पृथक से कब्जा ब्यूरो लिये गये। आरोपी को अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण(संशोधन) अधिनियम 2018 के तहत गिरफ्तार किया गया।

अतः आरोपी श्री जुंजाराम पुत्र श्री गोमाराम जाति जाट उम्र 28 वर्ष पैशा नौकरी निवासी ग्राम पंचायत आलमसर खुर्द पंचायत समिति व पुलिस थाना धोरीमन्ना जिला बाड़मेर हाल ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत भीलो की ढाणीं कल्ला पं0सं0 धोरीमन्ना जिला बाड़मेर के विरुद्व बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन हेतु प्रेषित कर निवेदन है कि अपराध दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान के आदेश फरमावे।

भवदीय,

(**मुकनदान**)
निरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
बाड़मेर

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री मुकनदान, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बाड़मेर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 में अभियुक्त श्री जुंजाराम पुत्र श्री गोमाराम, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत भीलो की ढाणी कल्ला, पंचायत समिति धोरीमन्ना जिला बाड़मेर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 89/2022 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

13.3.22

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

कमांक 791-95 दिनांक 13.3.2022

प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ट न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जोधपुर।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् बाड़मेर।
4. उप महानिरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बाड़मेर।

13.3.22

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।